

राजरव आदेश अनुवर्ति-पत्र
प्रकरण क्रमांक 202505290400034 / अ-62 / वर्ष 2024-25

(1)	(2)	(3)
14.7.2025	प्रकरण पेश। आवेदक अनुपस्थित। वन विभाग एवं राजरव निरीक्षक से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त होकर प्रकरण में संलग्न। प्रकरण में आवेदित भूमि पर स्थित 2 नम सागौन वृक्ष की कटाई की अनुज्ञा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं। अतः प्रकरण नरतीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ भेजा जावे। अनुविभागीय अधिकारी(रा.) अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुख्य-कुलदल, जिला-सुरमा-कुलदल-गण्ड	

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) गंडई-छुईखदान जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई(छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202505290400034/अ-62/2024-25

प्रारूप-ग

(नियम 3(2)देखिये)

अनुज्ञा

क्रमांक/ 98/ प्रस्तुतकार-2/अ.वि.अ./2025
प्रति,

गंडई-छुईखदान दिनांक 14/07/2025

जलील मोहम्मद पिता झाडू मोहम्मद
निवासी ग्राम कृतवांस तहसील गंडई
जिला-खैरागढ़ छुईखदान-गंडई(छ.ग.)

विषय -

प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 21.05.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 21.05.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 23.06.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

1. खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या - 1 नग सागौन
2. खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या- 10 नग सागौन

आवेदित भूमि ख.न. 261/3 रकवा 0.263हे. में निम्नांकित वृक्षों को काटने की अनुसंशा की गई है।

स. क्रमांक	ख0न0	वृक्ष क्रमांक	वृक्ष की प्रजाति	सीने की गोलाई	वृक्ष की स्थिति
1	261/3	1	सागौन	122 सें मी.	सुखा
2	261/3	2	सागौन	140 सें मी.	परिपक्व

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ख.न. 261/3 रकवा 0.263हे. ग्राम कृतवांस प.ह.न. 10 रा.नि.मं. गंडई तहसील गंडई स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन एवं संख्या 2 है, को काटे जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क.9सं-1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
गंडई-छुईखदान

गंडई-छुईखदान दिनांक 14/07/2025

पृ. क्रमांक/ 99/ प्रस्तुतकार-2/अ.वि.अ./2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र गंडई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. तहसीलदार गंडई को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
गंडई-छुईखदान
गंडई-छुईखदान-खैरागढ़-छत्तीसगढ़